

प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक प्रभाव में वृद्धि हेतु सरकारी प्रयास के प्रति अभिभावकों के विचार विश्लेषण

नरेंद्र कुमार सिंह*
महेंद्र सिंह यादव**

प्रस्तुत अध्ययन जौनपुर जनपद पर किया गया था। विवरणात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षणविधि द्वारा उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन से कुल 200 अभिभावकों का चयन किया गया था, जिन पर स्वनिर्मित 21 कथनों की प्रश्नावली प्रशासित करते हुए प्रति कथन पर हाँ/नहीं में से किसी एक पर विचार लिए गए थे, जिनकी प्रतिशत मात्रा और सार्थकता परीक्षण हेतु काई स्क्वायर्स टेस्ट (ग²) परीक्षण का प्रयोग किया गया था। अध्ययन के समूह तीन थे—प्रथम बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, द्वितीय विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त और तृतीय समूह 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्र, जिनके प्रति अभिभावकों के विचार विश्लेषण करते हुए शून्य परिकल्पना का परीक्षण ग² से किया गया था जो 21 कथनों के लिए 0.1 सार्थकता स्तर पर तीनों समूहों के लिए भिन्नता स्पष्ट लिया था। और यह स्पष्ट हुआ कि बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त यानि पुराने अध्यापक ही शिक्षा का गुणात्मक प्रभाव बनाए हुए हैं, विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक अपनी ऊर्जा अन्य व्यवसाय पर खर्च करते हैं, जबकि शिक्षामित्र महज खानापूर्ति करते हैं तथा ट्यूशन पढ़ने को बाध्य करते हैं। अतः सरकार का प्रयास विचारणीय है, गुणात्मक प्रभाव की दिशा में इसे बढ़ाने के लिए बी.टी.सी. प्रशिक्षित अध्यापकों को ही रखा जाना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यदि विश्व परिदृश्य पर ध्यान दिया जाए तो सर्वप्रथम 1842 में स्वीडन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी तत्पश्चात् यू.एस.ए. (1852), नार्वे

(1870) और इंग्लैण्ड ने (1870) में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। यूरोप के छोटे-छोटे देश जैसे—हंगरी, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड ने 1905 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया।

*वरिष्ठ प्रवक्ता (शिक्षा संकाय), राजा हरपाल सिंह पी. जी. कालेज, सिंगरामउ, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
**शोध छात्र (शिक्षा संकाय), राजा हरपाल सिंह पी. जी. कालेज, सिंगरामउ, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

लाल क्रांति के बाद रूस ने भी 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जबकि भारत में ब्रिटिश शासन था फिर भी 1813 के आज्ञापत्र के उपरांत इस दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम प्रयास किया गया और 1854 के घोषणा पत्र में सर्वसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार हुआ। 1859 में स्टेनली की घोषणा पत्र की सिफारिशों से सरकार ने प्राथमिक शिक्षा-कर लगाकर प्राथमिक शिक्षा विकास करने की चेष्टा की। 1882 में सरकार ने स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपकर पीछा छुड़ाने का प्रयास किया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रयास 1892 में बड़ौदा

नरेश महाराज सयाजीराव ने किया जिसके बाद 1917 में विट्ठल भाई पटेल के प्रयास से बंबई म्युनिसिपल क्षेत्र हेतु प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। इसके बाद कई राज्यों में ऐसा प्रयास हुआ परंतु 1947 तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों को मिले इसके लिए संवैधानिक प्रयास होने लगा और प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में बजट तथा लक्ष्य का निर्धारण किया जाने लगा। विभिन्न शिक्षा नीतियों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का प्रयास जोरों पर है जिसके लिए महामहिम ने इंडिया विजन 2020 को सामने रखा है।

तालिका-1

प्राथमिक शिक्षा पर व्यय

पंचवर्षीय योजना	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करोड़ों में	90	92.39	78	234.74	317	836	2850	9201	1182.48	2879

इतने खर्च के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 6-14 आयुवर्ग के 6 मिलियन बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। 63% बच्चे विद्यालय की कक्षा 10 की शिक्षा पूरी नहीं करते हैं और 50% बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। बिहार (83.6%) देना है और मेघालय (80.93) की स्थिति और भी दयनीय है। मध्यम श्रेणी (25 से 50%) वाले कुल 10 राज्य हैं, विकसित राज्य कुल 4 हैं। क्रमशः केरल (12.90), पांडिचेरी (21.69), चण्डीगढ़ (12.90) और

लक्ष्यद्वीप (24.13) में जहाँ प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा है। उ.प्र. में 46.31% बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं जबकि यह मान राष्ट्रीय स्तर पर 62.58% है अतः 2020 का सपना पाने के लिए उपरोक्त सभी प्रयास बहुत कम हैं।

उत्तर प्रदेश में 1971 तक प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों की देख-रेख में थी। 1973 में 10 जुलाई को एक विधेयक पारित करके सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को अपने हाथ में ले

लिया। प्राथमिक शिक्षा परिषद् का गठन करके विकास यात्रा शुरू हुई जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शैक्षिक पुनर्निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए संविधान की धारा 45 में वर्णित 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना विश्व बैंक की सहायता से अक्टूबर (1993) में लागू की गयी जो

2000 तक चली, जिसमें प्रमुख प्रगति हुई जैसे- सीमैट की स्थापना, जनपद स्तर पर साफ़्टवेयर का निर्माण, विस्तार कार्य, आदि कार्य 1993-96 तक होने थे। प्रदेश स्तर पर प्राथमिक शिक्षा ढाँचा तैयार हुआ जिसमें प्रशासन विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य पदाधिकारी सम्मिलित हैं। इन प्रयासों से साक्षरता में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है-

तालिका-2

उत्तर प्रदेश में साक्षरता की स्थिति

उत्तर प्रदेश	वर्ष 1991 की साक्षरता			वर्ष 2001 की साक्षरता			वृद्धि		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
ग्रामीण	36.66	52.05	19.02	52.50	66.60	36.90	15.84	14.55	17.88
शहरी	61.00	69.98	50.38	69.80	76.80	61.70	8.80	6.82	11.32
कुल	40.71	54.82	24.37	56.30	68.80	42.20	15.59	13.98	17.83

तालिका-3

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के जनपदों में महिला साक्षरता की स्थिति

महिला साक्षरता प्रतिशत	30% से कम	30% से 40%	30% से 50%	50% से 60%	60% से 70%
जनपदों की संख्या	10	19	27	12	02

तालिका-4

वर्तमान में संचालित कार्यक्रम का विवरण

क्रम संख्या	साक्षरता अभियान	जनपदों की संख्या
1.	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	04
2.	उत्तर साक्षरता अभियान	34
3.	सतत् शिक्षा कार्यक्रम	31
4.	विशेष साक्षरता कार्यक्रम	34

वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्य-प्रदेश सरकार द्वारा 2006-07 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये थे-

- (क) सभी जनपदों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम लागू किया जाना।
- (ख) सतत् शिक्षा कार्यक्रम में मार्च 2007 तक आच्छादित जनपदों का लक्ष्य 56 है।
- (ग) न्यूनतम महिला साक्षरता के 30 जनपदों के साक्षरता वृद्धि के लिए विशेष अभियान।
- (घ) सम्पूर्ण साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता तथा विशेष साक्षरता अभियान के लिए 2:1 के अनुरूप राज्यांश की व्यवस्था

- 5.00 करोड़ एवं केंद्रांश के रूप में 10 करोड़ रूपये प्राप्त करने का लक्ष्य।
- (ड) सतत् शिक्षा में शत-प्रतिशत केंद्रांश प्राप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 20.00 करोड़।
- (च) साक्षरता कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- (छ) उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम में प्रतिभागियों को व्यावसायिक दक्षता प्रदान करना।
- (ज) सतत् शिक्षा कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- (झ) सभी ग्राम विकास विभागों या अन्य विभागों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों के लिए निरक्षर सदस्यों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना।

उपरोक्त सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारों द्वारा समय-समय पर कई नये-नये प्रयोग हो रहे हैं जैसे— छात्रवृत्ति वितरण, निःशुल्क पुस्तक वितरण, यूनीफार्म वितरण, मध्याह्न भोजन और साथ-साथ अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु 1998 से बी.एड., एल.टी., बी.पी.एड., इत्यादि प्रशिक्षण प्राप्त छात्राध्यापकों को छः माह का विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्रदान करके अध्यापक नियुक्त किया जाना और ग्राम शिक्षा समितियों की सहायता से 1.40 की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षामित्रों का चयन जो 30 दिन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, किया जा रहा है। जिससे वर्तमान समय में उ.प्र. में प्राथमिक विद्यालयों में कुल

2,63,000 शिक्षक और 2,94,000 शिक्षामित्र कार्यरत हैं तथा विद्यालयों की संख्या कुल 95,000 है। भारत में प्रथम पायदान पर सर्वशिक्षा अभियान के लिए उ.प्र. को जाना जा रहा है। इन्हीं उपरोक्त सरकारी प्रयासों और नये प्रयोगों ने शोधकर्ता को दिशा प्रदान की कि आज प्राथमिक शिक्षा में तीन तरह के अध्यापक कार्यरत हैं, प्रथम जिन्होंने दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त किया है, द्वितीय जिन्होंने बी.एड., बी.पी.एड., एल.टी., इत्यादि के बाद छः माह का विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त किया है और तीसरे स्तर पर शिक्षामित्र हैं जो केवल 30 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त और मात्र इन्टरमीडिएट स्तर की योग्यता वाले हैं। इन अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में गुणवत्ता बनाने में कहाँ तक सहयोग मिल रहा है और 'क्या सभी एक ही स्तर के शिक्षण कार्य कर रहे हैं?' का अध्ययन किया जाए जिससे कि यह संशय दूर हो सके कि 'प्रशिक्षण अवधि' प्रभाव नहीं डाल रही है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए थे—

1. प्राथमिक स्तर पर बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा पर गुणात्मकता प्रभाव का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा पर गुणात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।

3. प्राथमिक स्तर पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों द्वारा शिक्षा पर गुणात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की शून्य परिकल्पनायें—

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया था—
“बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त, विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त और 30 दिन के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों की शिक्षा पर गुणात्मक प्रभावों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है।”

विधिपरक विज्ञान

प्रस्तुत अध्ययन जौनपुर जनपद पर किया गया था। कुल 200 अभिभावकों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन द्वारा किया था। यह अध्ययन सर्वेक्षण

विधि द्वारा किया जाने वाला विवरणात्मक प्रकार का अनुसंधान था और कुल 200 अभिभावकों से विचार (हाँ/नहीं) पर स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा लिए गए थे ताकि इनके शिक्षा पर गुणात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। प्रश्नावली में कुल 21 कथनों का निर्माण किया गया था जो इनके समय से आने, शिक्षण सामग्री प्रयोग करने, बच्चों से व्यवहार और परीक्षा तथा अन्य खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रुचियों से जुड़े थे जिनमें से कुल 21 कथन पर 70 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सहमति जताई थी। प्रश्नावली के कथन हाँ/नहीं की अनुक्रिया पर आधारित थे जिनके बीच परीक्षण द्वारा सार्थकता की जाँच होनी थी। आँकड़ों का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित तालिका तैयार हुई थी।

तालिका-5

शिक्षा गुणात्मक प्रभाव हेतु अभिभावकों की विचार विश्लेषण तालिका

क्रम सं.	कथन	बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक		विशिष्ट बी.टी.सी. प्राप्त अध्यापक		30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्र		X^2 काई स्क्वायर परीक्षण परिणाम
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
1.	विद्यालय पर 9:30 बजे अध्यापक पहुँचते हैं।	92	08	52	48	72	28	39.68
2.	सायं 4:00 बजे ही विद्यालय छोड़ते हैं।	81	19	34	66	38	62	54.32
3.	प्रतिदिन विद्यार्थियों को समय से आने के लिए प्रेरित करते हैं।	61	39	07	93	36	34	59.65
4.	छः घंटे शिक्षण कार्य करते हैं।	74	26	82	18	89	11	7.64
5.	प्रतिदिन खेल कराते हैं।	08	92	02	98	12	88	7.08
6.	शनिवार को बालसभा में भाग लेते हैं।	100	00	54	46	68	32	57.7
7.	शरारती बच्चों की पिटाई होती है।	93	07	72	28	49	51	47.07

8.	अध्यापक का व्यवहार बच्चों से विनम्र होता है।	14	86	24	76	64	36	62.28
9.	बच्चे को भयभीत किए रहते हैं।	87	13	74	26	26	74	93.78
10.	बच्चों के साथ करके सीखने पर जोर देते हैं।	46	54	22	78	68	32	42.78
11.	शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं।	14	86	19	81	37	63	16.52
12.	सुलेख, लिपि तथा नैतिक शिक्षा का पाठ प्रतिदिन कराते हैं।	90	10	78	22	88	12	6.5
13.	श्यामपट्ट पर लिखते हैं।	67	33	12	88	78	22	100.19
14.	कक्ष निरीक्षण करते हैं।	11	89	34	66	78	22	95.81
15.	गृह कार्य देते हैं।	94	06	91	09	88	12	2.18
16.	गृह कार्य का निरीक्षण करते हैं।	23	77	17	83	46	54	1.67
17.	कमियों में सुधार करते हैं।	34	66	07	93	18	82	2.06
18.	विद्यार्थी के सीखने में बाधा को दूर करते हैं।	46	54	06	94	21	79	44.77
19.	ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं।	02	98	58	42	79	21	130.78
20.	मासिक परीक्षण लेते हैं।	11	89	23	77	34	66	14.96
21.	अंक प्रदान करने में निष्पक्ष रहते हैं।	92	08	68	32	56	44	33.31

व्याख्या—उपरोक्त विश्लेषण तालिका में व्याख्या उद्देश्य के अनुरूप निम्नलिखित प्रकार से की गयी है।

प्रथम उद्देश्य

अध्ययन का प्रथम उद्देश्य निर्धारित था कि “प्राथमिक स्तर पर बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा पर गुणात्मकता प्रभाव का अध्ययन करना” जिसके लिए अभिभावकों ने प्रत्येक कथन पर अपने विचार हाँ/नहीं से किसी एक पर दिया जिसमें 92% अध्यापक विद्यालय समय पर पहुँचते हैं और 81% अध्यापक समय से छोड़ते हैं। 61% अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय समय से पहुँचने के लिए प्रेरित करते हैं जबकि 74% अध्यापक अपना शिक्षण निर्धारित समयानुरूप करते हैं,

खेल में केवल 8% भाग लेते हैं परंतु बालसभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर 100% यानि सभी भाग लेते हैं केवल 14% विनम्र स्वभाव वाले जबकि 93% बच्चों की शरारत बर्दास्त नहीं कर पाते हैं। 87% तो धमकाते रहते हैं, 46% बच्चों को करके सीखने में तथा 14% ही केवल पढ़ाते हुए सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। 90% अध्यापक लिखावट व लिपि पर ध्यान देते हैं तथा 67% श्यामपट्ट प्रयोग करते हैं। पढ़ाने के बाद कक्षा कार्य निरीक्षण केवल 11% जबकि गृहकार्य देने का कार्य 94% अध्यापक करते हैं। जिसमें से केवल

प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक प्रभाव में वृद्धि हेतु सरकारी प्रयास के प्रति अभिभावकों के विचार विश्लेषण

23% ही निरीक्षण करते हैं और इसके आधार पर 34% अध्यापक कमियों में सुधार करते हैं। 46% अध्यापक सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, जबकि केवल 2% ट्यूशन पढ़ाने को बाध्य करते हैं, 11% अध्यापक तो मासिक परीक्षण करते रहते हैं और परीक्षा में अंक प्रदान करने में 94% अध्यापक निष्पक्ष होते हैं। यदि हम अभिभावकों के दिए गए मतों का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि लापरवाही तो इन अध्यापकों में है परंतु वे अनुशासन व अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हैं।

द्वितीय उद्देश्य

अध्ययन का द्वितीय उद्देश्य था कि “प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा पर गुणात्मकता प्रभाव का अध्ययन करना”। इसके लिए विश्लेषण तालिका से स्पष्ट है कि 52% अध्यापक ही समय पर विद्यालय पहुँचते हैं और केवल 34% समय पर छोड़ते हैं तथा 7% ही विद्यार्थियों को समय से आने की प्रेरणा प्रदान करते हैं जबकि 82% अध्यापक प्रतिदिन आना और शिक्षण कार्य संपूर्ण समय पर करते हैं और केवल 2% ही खेल पर समय दे पाते हैं। 54% अध्यापक ही शनिवार को बालसभा तथा सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग ले पाते हैं, 72% बच्चों की शरारत पर पिटाई करते हैं तथा 24% ही विनम्र स्वभाव के होते हैं जबकि 74% भयभीत करते हैं, 22% करके सीखने पर और 19% शिक्षण के समय सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, 78% लिखावट

पर और 12% ही श्यामपट्ट प्रयोग करने वाले हैं, कक्ष निरीक्षण पर 34% गृहकार्य देने में 91% जबकि निरीक्षण केवल 17% ही करते हैं। 7% कर्मियों में सुधार चाहते हैं और 6% सीखने में आने वाली बाधा को दूर करना चाहते हैं। 58% अध्यापक ट्यूशन पढ़ाने को बाध्य करते हैं, 23% मासिक परीक्षण लेते हैं तथा मुख्य परीक्षा में अंक प्रदान करने में निष्पक्षता के पक्ष में 68% अध्यापक होते हैं। उससे स्पष्ट है कि इनमें पढ़ाने का प्रशिक्षण बी.टी.सी. प्रशिक्षित अध्यापकों जैसा नहीं है और कक्षा में व्याख्यान पद्धति अपनाते हुए ट्यूशन पढ़ाने को बाध्य करते हैं, जिससे शिक्षा की गुणात्मकता में कमी आयी है, इसका एक कारण और है कि समय से विद्यालय न पहुँचना तथा अतिरिक्त पेशे में समय देना।

तृतीय उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में तीसरा उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि “प्राथमिक स्तर पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों द्वारा शिक्षा पर गुणात्मकता प्रभाव का अध्ययन करना” इस उद्देश्य हेतु अभिभावकों के विचार लिए गए। विश्लेषण तालिका व्यक्त करती है कि 72% शिक्षामित्र समय पर विद्यालय पहुँचते हैं और शाम 4:00 बजे तक केवल 38% रहते हैं शिक्षामित्र ही विद्यालय में 36% ही विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय पहुँचने को प्रेरित करते हैं तथा 89% शिक्षामित्र पूरे समय शिक्षण करते हैं और 12% प्रतिदिन खेल में सहायता करते हैं। 68% शनिवार

को बालसभा में भाग लेते हैं, 49% शरारती बच्चों की पिटाई करते हैं, 64% शिक्षामित्र विनम्र व्यवहार करते हैं तथा 26% शिक्षामित्र बच्चों को डाँटते हैं, 68% बच्चों के साथ करके सीखने पर जोर देते हैं। 37% शिक्षामित्र शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। 88% शिक्षामित्र लिखावट पर ध्यान देते हैं। 78% शिक्षामित्र श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं, 78% कक्ष निरीक्षण करते हैं, 88% गृहकार्य देते हैं जिसमें केवल 46% ही निरीक्षण करते हैं और 18% कर्मियों में सुधार करते हैं, 21% शिक्षामित्र सीखने की बाधा को दूर करते हैं जबकि 79% ट्यूशन चाहते हैं, 34% मासिक परीक्षण लेते हैं और 56% ही मुख्य परीक्षा में निष्पक्षता प्रदान कर पाते हैं, अभिभावकों के विचार विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षामित्र केवल खानापूर्ति मात्र है इनसे शिक्षा में गुणात्मकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिला है।

परिकल्पना परीक्षण

प्रस्तुत अध्ययन में परीक्षण हेतु शून्य परिकल्पना बनायी गयी थी कि बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त, विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त और 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों की शिक्षा पर गुणात्मक प्रभावों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसके परीक्षण के लिए प्रत्येक कथन पर (3:2) की मैट्रिक्स द्वारा र्ण परीक्षण ज्ञात किया गया जो क्रमशः कथनों के अनुरूप (39.67, 54.32, 59.65, 7.64, 7.08, 57.7, 47.04, 62.28, 93.79, 42.78, 16.52, 6.5,

100.19, 95.81, 2.18, 1.67, 23.06, 44.77, 130.78, 14.96 तथा 33.81) थे। इन सभी मानों को देखते हुए र्ण (2) के सार्थकता स्तर .01 पर 9.21 से (7.64, 7.08, 6.5, 2.18, 1.67) कम थे जो कथन (4,5,12,15,16) के मान थे जिनके लिए शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो गयी और शेष कथनों पर (1,2,3,6, 7,8,9,10,11,13,14,17,18,19,20,21) अस्वीकृत हो जाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणात्मकता के गिरावट की दिशा पर सभी अध्यापकों की समान प्रकृति है। इतना अवश्य है कि उत्तरदायित्व अधिक आज भी बी.टी.सी. प्रशिक्षित अध्यापक ही उठा रहे हैं जैसे-जैसे इनकी कमियाँ आ रही हैं वैसे-वैसे गुणात्मकता में गिरावट और मात्रात्मकता में वृद्धि हो रही है। सोचने का विषय है कि एक ही स्तर पर भिन्न-भिन्न प्रशिक्षण प्राप्त लोग रहेंगे, तो गुणात्मकता की वृद्धि संभव नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बी. टी. सी. प्रशिक्षण केंद्रों को संसाधन मुहैया कराते हुए प्राथमिक शिक्षक तैयार करें तथा उन्हीं को नियुक्त करें जिससे शिक्षा की गुणात्मकता की वृद्धि हो सके, अभिभावकों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पुराने शिक्षक आज भी अच्छे हैं, जबकि नए प्रशिक्षण वाले अध्यापक व शिक्षामित्र विद्यार्थियों में ट्यूशन पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास करते हुए रटने की प्रवृत्ति का विकास कर रहे हैं और परीक्षा में ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों को अधिक अंक प्रदान करके छात्रों की नींव कमजोर कर रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक प्रभाव में वृद्धि हेतु सरकारी प्रयास के प्रति अभिभावकों के विचार विश्लेषण

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक विशेष प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तथा शिक्षामित्र महज खानापूर्ति मात्र कर रहे हैं।

संदर्भ

अमरनाथ (1998) प्राथमिक शिक्षा का भयावह दृश्य 'दैनिक जागरण' साप्ताहिक परिशिष्ट रविवार 13 दिसंबर, 1998, पृष्ठ-1

'दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य' प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक पृष्ठ-224 दैनिक जागरण पृष्ठ-1

पाण्डेय रामशकल एवं मिश्र करूणा शंकर (2004) "भारतीय शिक्षा की सम-सामयिक समस्याये", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2 नवीनतम संस्करण।

योजना आयोग का इण्डिया विजन 2006, प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था पृष्ठ-227

शर्मा, आशा (2002) "शिक्षा का व्यापीकरण एक अवलोकन" कुरूक्षेत्र, सितंबर, 2002

शरण, वल्लभ (2002) साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ मासिक पत्रिका कुरूक्षेत्र-अक्टूबर, 2002

सद्गोपाल, अनिल (2003) "ऐसी शिक्षा से कैसा समाज" सहारा समय 15 नवंबर, 2003, पृष्ठ-22-23

सर्वशिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय, उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विधाभवन, निशातगंज, लखनऊ।

साक्षरता समाचार दर्पण, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय उ.प्र. सितंबर, 2006